रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225217
SG-DL-E-17022021-225217

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60]	दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/ माघ 28, 1942	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 331
No. 60]	DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942	[N. C. T. D. No. 331

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 फरवरी, 2021

फा. सं. 708/टी.ओ.(एस.)/टी.सी.-फेलिंग/ट्रासप्लांट/20-21/10728-36.—दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली एम-आर-टी-एस प्रोजेक्ट चरण - IV, नई दिल्ली के तुगलकाबाद कॉरिडोर के लिए खानपुर से ऐरोसीटी संगम विहार खंड के निर्माण हेतू नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 6.243 हेक्टेयर क्षेत्रफल से उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के उपबंधो से छूट प्रदान करती है।

स्थान	बचाए जाने वाले वृक्षो की संख्या	वृक्षों की संख्या			उपभोगी संस्था द्वारा अपेक्षित प्रतिपूरक वृक्षारोपण (वृक्षों की संख्या)
		प्रत्यारोपण हेतु	काटे जाने वाले	योग	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दिल्ली एम.आर.टी.एस प्रोजेक्ट चरण- IV, नई दिल्ली के तुगलकाबाद कॉरिडोर के लिए खानपुर से ऐरोसीटी संगम विहार खंड के निर्माण हेतू ।	67	299	151	450	4500
योग	67	299	151	450	4500

यह छूट निम्नलिखित शर्तो के अधीन है :-

1. दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि उपभोगी संस्था के रूप में संदर्भित है, को सात वर्ष की अवधि के लिए पौधों के संपूर्ण विकास एवं रखरखाव हेतु निम्नानुसार 2,56,50,000 /- रुपये (दो करोड़ छप्पन लाख पचास हजार मात्र) की राशि अग्रिम रूप में जमा करवानी होगी।

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या	अन्य प्रशासनिक व्ययों तथा आकस्मिक व्यय सहित कुल राशि	वन प्रभाग में जमा कराई जाए
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क)	उपभोगी संस्था द्वारा 100% प्रतिपूरक वृक्षारोपण (450 वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटे जाने वाले वृक्षो का दस गुना) अर्थात 4500 पौधो का प्रस्तावित प्रजातियाँ नीम, अमलतास, पीपल, पिलखन, गूलर, बरगद, देशी कीकर, अर्जुन एवं अन्य देशी प्रजातियाँ का नीचे दी गई तालिका के अनुसार किया जाएगा ।	4500	2,56,50,000 /-	उप– वन संरक्षक (दक्षिण)/वन अधिकारी
(ख)	उपभोगी संस्था द्वारा 299 वृक्षों का प्रत्यारोपण जो साइट पर खड़े है, 4287.0 वर्ग मीटर के क्षेत्र लैंड प्लान डिफेंस एरिया कैंप- I में किया जाएगा।			

प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए साइटों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	प्रतिपूरक वनीकरण वृक्षारोपण का स्थान	लगाए जाने वाले पौधो की संख्या
1.	जिला उद्यान सेक्टर- 10 रोहिणी, स्वर्ण जयंती ।	1000
2.	ग्रीन बेल्ट -24, रोहिणी पॉकेट -5 के पास ।	250
3.	ग्रीन बेल्ट -24, रोहिणी दीप विहार के पास ।	200
4.	ग्रीन बेल्ट, सेक्टर 11- रोहिणी बालाजी के पास ।	200
5	पार्क सेक्टर -23, रोहिणी में ।	500
6.	जिला पार्क, पार्क -1, सेक्टर -29, एच.आई.जी. फ्लैट के साथ रोहिणी ।	550
7.	पार्क ब्लॉकडी-, सेक्टर -29, रोहिणी में ।	500
8.	एम॰ पी॰ ग्रीन एरिया भाग -I, सेक्टर -29, रोहिणी, डब्ल्यू. वाई. वाई. कैनल के पास ।	400
9.	पार्क सेक्टर -29-30, रोहिणी पॉकेट D1, D2, D3, सेक्टर -29 और पॉकेट सी 1, सी 2, सी 3, सेक्टर -30 में ।	200
10.	एम.पी. ग्रीन एरिया सेक्टर -30 रोहिणी ।	700
	योग	**4500**

2. उपरोक्त 1 (क) व (ख) के अनुसार, देशी प्रजातियों के 4500 पौधो का 100 % प्रतिपूरक वृक्षारोपण और उनका सात वर्षो तक रखरखाव उपभोगी संस्था द्वारा किया जायेगा, इस वृक्षारोपण के सफलतापूर्वक स्थापना के बाद उपभोगी संस्था द्वारा निगरानी की जाएगी ।

3. उपभोगी संस्था द्वारा अतिरिक्त साइट सुधार खर्चों को जमा किया जाएगा जो कि वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) द्वारा गणना के अनुसार वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त बनाने के लिए आवश्यक हो सकता है ।

4. 450 वृक्षो को काटे जाने के बदले मे 1:10 के अनुपात मे स्वदेशी प्रजातियों के 6-8 फीट की ऊँचाई वाले 4500 पौधो का प्रतिपूरक वृक्षारोपण गैर-वन भूमि पर किया जाएगा । वृक्षारोपण की अनुमति के जारी होने के तीन महीने के अंदर निर्धारित की गई भूमि पर अतिरिक्त उपायों के साथ वृक्षारोपण स्थल के अनुसार विशिष्ट वृक्षारोपण तकनीकों के द्वारा किया जाएगा और उपभोगी संस्था द्वारा रखरखाव किया जाएगा ।

5. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस प्रस्ताव की योजना को परिवर्तित नहीं किया जाएगा ।

6. जो भूमि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिया आवंटित है, उसका उपयोग किसी अन्य कार्यो के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बिना नहीं किया जाएगा।

7. उपभोगी संस्था द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण अनुसूची को दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 12 के अनुपालन में वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को प्रस्तुत किया जाएगा ।

8. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटे / प्रत्यारोपण शुरू करने से पहले साइट की तैयारी और वृक्षारोपण के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत करेगी ।

9. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षारोपण पत्रिका को वन और वन्यजीव विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को निर्धारित करेंगी और इसकी एक प्रति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रस्तुत की जाएगी ।

10. उपभोगी संस्था द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण/ प्रत्यारोपण स्थल में मृदा नमी संरक्षण कार्य की गतिविधियों को किया जाएगा ।

11. अनुमति जारी होने के तुरंत बाद वृक्षो का प्रत्यारोपण शुरू किया जाएगा और इसे छः महीने के अंतराल में पूर्ण किया जाएगा । प्रत्यारोपण प्रक्रिया के पूर्ण होने का बाद एक सम्पूर्ण रिपोर्ट संबन्धित वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी । प्रत्यारोपण स्थल मे प्रत्यारोपित वृक्षो की दूरी 4 मीटर (बिंदु से बिंदु) से कम नहीं होनी चाहिए ।

12. उपभोगी संस्था के द्वारा वृक्ष प्रत्यारोपण नीति 2020 में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

13. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो की प्रत्यारोपण की प्रगति रिपोर्ट संबंधित निरीक्षण अधिकारी के माध्यम से वृक्ष अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।

14. वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने के लिए अनुमति उनके स्वयं के जोखिम पर और किसी भी अन्य व्यक्ति के दावे के पक्षपात के बिना, जो वृक्षो और भूमि पर सही हो सकती है, दी जा रही है ।

15. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को प्रत्यारोपण/ काटने का कार्य सभी वैधानिक मंजूरियों को लेने के बाद ही शुरू किया जाएगा ।

16. वृक्षो की प्रत्यारोपण/ कटाई और उसमें पैदा होने वाली वन उपज को सार्वजनिक श्मशान मे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा ।

17. उपभोगी संस्था द्वारा 151 वृक्षो को काटने से पूर्व प्रत्यारोपण किया जाएगा । वृक्षो की अनुमति 299 वृक्षो के सफल प्रत्यारोपण और उप-वन संरक्षक (दक्षिण) को अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद दी जायेगी ।

18. उपभोगी संस्था के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वृक्षो की कटाई से पूर्व कोई लंबित मुकदमेबाजी या स्थगन आदेश किसी भी न्यायालय / अन्य प्राधिकरण द्वारा पारित न हुआ हो ।

19. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के उपरान्त प्राप्त लकड़ियों की नीलामी की जाएगी और उससे प्राप्त धनराशि को सरकार के खाते मे राजस्व के रूप में जमा की जाएगी।

20. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षों के ऊपरी शाखाओं को काटे जाने के पश्चात प्राप्त लकड़ियों को मुफ्त में निकटतम सार्वजनिक शवदाहों में प्रयोग हेतु सौपी जाएगी और इसकी सूचना वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) को भी दी जाएगी ।

21. उपभोगी संस्था द्वारा वृक्षो को काटने के स्थल से लकड़ियों को ले जाने से पूर्व वृक्ष अधिकारी (दक्षिण) से ढुलाई अनुमति प्राप्त करनी होगी।

22. उपभोगी संस्था के द्वारा पर्यावरण मंजूरी में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन किया जाएगा ।

23. उपभोगी संस्था द्वारा 450 वृक्षो के अलावा किसी भी वृक्ष की प्रत्यारोपण/ कटाई दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के तहत एक अपराध होगा ।

24. भूमि स्वामित्व एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र में कोई अतिक्रमण न हो ।

25. अनुमति तभी दी जाएगी जब "वृक्ष संरक्षण योजना" को समय पर उप-वन संरक्षक (दक्षिण) द्वारा जारी किए गए पत्र दिनाँक-20.01.2021 के अनुसार वृक्ष अधिकारी/उप-वन संरक्षक (दक्षिण) को प्रस्तुत की जाएगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकार के
आदेश से तथा उनके नाम पर,

संजीव खिरवार, प्रधान सचिव (पर्यावरण एवं वन)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 16th February, 2021

F. No.708/TO(S)/TC/Felling/Transplant/20-21/ 10728-36.—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994), the Government of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest exempts an area of 6.243 ha. as detailed below for construction of Khanpur to Sangam Vihar section of Aerocity to Tughlakabad corridor of Delhi MRTS Project Phase-IV, New Delhi from the provision of sub-section (3) of section 9 of the said Act.

Location	Number of trees to be saved	Number of trees (recommended for)			Compensatory Plantation by User Agency (Number of tree saplings)
		Transplantation	Felling	Total	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Construction of Khanpur to Sangam Vihar section of Aerocity to Tughlakabad corridor of Delhi MRTS Project Phase-IV, New Delhi.	67	299	151	450	4500
Total	67	299	151	450	4500

The said exemption is subject to fulfillment of the following conditions:-

1. Delhi Metro Rail Corporation Ltd. (DMRC), herein referred to as User Agency, shall make an advance deposit of an amount of Rs. 2,56,50,000 /- (Rupees Two Crore Fifty Six Lakh Fifty Thousand Only) towards security deposit for creation and maintenance of compensatory plantation for a period of Seven years as follows,

S.No.	Location of Compensatory plantation.	Number of saplings to be planted	Total Amount including other Administrative expenses and contingency charges (in Rs.).	To be Deposited with Forest Division.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(a)	100% Compensatory Plantation ten times the number of trees permitted for felling/ transplant of 450 trees i.e., number of tree saplings proposed to be planted of species Neem, Amaltas, Peepal, Pilkhan, Gular, Bargad, Desi Kikkar, Arjun etc. along with other native species by User agency as mentioned in below table.	4500	2,56,50,000 /-	Deputy Conservator of Forests (South)/ Tree Officer

(b)	Transplantation of 299. of trees which are standing on site shall be done by User Agency at Land Plan Defence Area Camp-I in the area of 4287.0 SQM.

The details of sites for compensatory plantation are as follows:-

S.No.	Location of the Compensatory Plantation	No. of tree saplings planted
1.	District Park Sector-10 Rohini. Swaran Jayanti.	1000
2.	Green Belt-24, Rohini Near Pocket-5.	250
3.	Green belt-24, Rohini Near Deep Vihar	200
4.	Green belt at Sector-11, Rohini Near Balaji.	200
5	Park at Sector-23, Rohini,	500
6.	District Park, Park-1, Sector-29, Rohini along HIG Flat	550
7.	Park Block-D, Sector-29, Rohini.	500
8.	M.P Green Area part-I, Sector-29, Rohini, Near W.Y Canal	400
9.	Park at Sector-29-30, Rohini Pkt.D1, D2, D3, Sector-29 & Pkt. C1, C2, C3, Sector-30	200
10.	MP Green Area Sector-30 Rohini.	700
	Total	**4500**

2. 100% Compensatory Plantation of 4500 saplings of native species shall be raised and maintained by User Agency for Seven years and monitored till its successful establishment as indicated at 1 (a) & (b) above.

3. The User Agency shall also deposit extra site improvement expenses which may be required to make the site suitable for plantation as calculated by Tree Officer concerned (as deposits).

4. Plants saplings of indigenous species 6-8 feet height shall be planted as compensatory plantation in ratio of 1:10 on non-forest land in lieu of transplantation/ felling of 450 no. of trees. The plantation shall be done by following site specific plantation techniques with additional measures on identified land within three months of issue of tree removal permission and maintenance shall be carried out thereafter, by user agency with their own funds.

5. The User Agency shall ensure that the plan of this proposal shall not be changed.

6. The land over which compensatory plantation raised shall not be utilized for other purpose without the approval of State Government.

7. Detailed plantation schedule shall be submitted by User Agency in compliance with Section 12 of DPTA 1994 before initiating felling/ transplantation.

8. The User Agency shall submit a detailed plan for site preparation and plantation before initiating felling/ transplantation.

9. The User Agency shall maintain plantation journal as prescribed by the Department of Forest and Wildlife, GNCTD and a copy of the same may be submitted at the end of each financial year.

10. The User Agency shall implement the improved soil moisture conservation activities on compensatory plantation/ transplantation.

11. Transplantation of trees shall be initiated immediately after permission is issued and should be completed not later than six months, after which a completion report has to be submitted to the Tree Officer. The spacing of the transplantation of trees shall not be less than 4 meter (point to point) at transplantation site.

12. All the conditions mentioned in Tree Transplantation Policy 2020 shall be followed scrupulously by User Agency.

13. The progress report of transplantation shall be submitted through inspection officer concerned along with complete details of trees.

14. Permission for transplantation/ felling of all tress is being granted at their own risk and without prejudice to the claim (s) of any other person/s who may be having any rights(s) over the land or the trees.

15. Before the transplantation/ felling of trees from the site is commenced all requisite statutory clearances shall necessarily be obtained by the User Agency.

16. Transplantation/ felling of trees and transportation of forest produce arising therefrom to the public crematorium shall be completed within 90 days.

17. The transplantation shall be carried out prior to felling of 151 nos. of trees permitted herein. The 151 trees shall be removed/ felled after successful transplantation of 299 trees and submission of compliance certificate to DCF (South).

18. The user agency shall ensure that there is no pending litigation or stay order passed by any court of law/ other authority before undertaking felling of trees.

19. The timber obtained from removal of trees shall be auctioned and proceeds shall be deposited as revenue to the Government account by the User Agency.

20. The lops and tops of the trees shall be sent/ supplied to the nearest crematorium free of cost and the same should be reported to DCF (South) by User Agency.

21. Before shifting of timber, if any, from site of removal of trees, permission for transportation of the said wood shall be obtained from the DCF (South) by User Agency.

22. It should be ensured by the user agency that all the conditions mentioned in environmental clearance, and other clearances, if any obtained, shall be followed scrupulously.

23. Felling/ transplantation of any tree apart from 450 trees by User Agency shall constitute an offence under DPTA, 1994.

24. Land Owning agency shall ensue that there is no encroachment in area proposed for compensatory plantation.

25. The permission shall be granted only is "The Tree Preservation Plan" is timely submitted to the Tree Officer as per letter dated 20.01.2021 issued by DCF (South).

By Order and in the Name of the
Government of National Capital Territory of Delhi

SANJEEV KHIRWAR, Principal Secy. (Env. & Forests)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2021.02.17 19:59:37 +05'30'